198

सर्वोच्च प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्याः–43 /सी0एम0/ 11–2014–14(04)/2010

प्रेषक,

डा0 अजय कुमार प्रद्योत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
यमुना कालोनी, देहरादून।

सिंचाई अनुभाग–2,

देहरादून, दिनांक 10 सितम्बर, 2014

विषयः– **आपदा राहत कार्यो तथा पुनर्निर्माण/मरम्मत कार्यो को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है कि इस वर्ष वर्षा ऋतु में हुई जन–धन की हानि के पश्चात आपदा प्रभावित/पीड़ितों को हर सम्भव सहायता पहुंचाने के दृष्टिगत प्रारम्भ किए गये पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्यों के साथ–साथ अवशेष राहत कार्यों को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गये हैः–

(1) भारी वर्षा एवं अतिवृष्टि से होने वाली जन–धन की हानि को रोकने हेतु मनरेगा के माध्यम से पानी के तेज बहाव को नियंत्रित करने हेतु परकटटे निर्मित किये जाए एवं ग्रामसभाओं को परकटटे निर्मित किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाय।

(2) राज्य के प्रत्येक पुलिस थानों/पटवारी चौकियों में ऐसे स्वयंसेवकों (Volunteer) पैराड्रॉपर्स, प्वाइण्ट 2–2 चकराता, कुमॉऊ/गढवाल रेजीमेण्ट एवं स्काउट गाइडों को नामांकित (Enroll) किया जाय जिनका आपदा के दौरान उपयोग किया जा सके।

(3) राज्य के प्रत्येक पुलिस थानों/पटवारी चौकियों में आपदा से बचाव हेतु आवश्यक उपकरण रखे जांय।

(4) राज्य में नदियों के प्रवाह क्षेत्र में जितने मकान बने हैं उन्हें भौतिक रूप से चिह्नित कर उन पर स्पष्ट रूप से लिख दिया जाय कि "यह भवन नदी के प्रवाह क्षेत्र में निर्मित है और निषिद्ध क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण रहने योग्य नहीं है।"

(5) सभी प्रकार के मार्गो के निर्माण के समय नाली "पणकट" का निर्माण आवश्यक रूप से किया जाय।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिंचाई विभाग से सम्बन्धित उपरोक्त निर्णयों का कियान्वयन/अनुपालन शीघ्र सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 अजय कुमार प्रद्योत)
सचिव।

क्रमशः.....2